



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 596]

नई दिल्ली, बुधवार, जुलाई 5, 2017/आषाढ़ 14, 1939

No. 596]

NEW DELHI, WEDNESDAY, JULY 5, 2017/ASADHA 14, 1939

विदेश मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 30 जून, 2017

सा.का.नि. 830(अ).—केन्द्रीय सरकार प्रत्यर्पण अधिनियम, 1962 (1962 का 34) की धारा 36 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधिनियम के अध्याय III जो ऐसे विदेशी राष्ट्रों को प्रपलायी अपराधियों को वापस सौंपने से संबंधित है, जिनके साथ प्रत्यर्पण व्यवस्था है, के कार्यान्वयन के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है:—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.— (1) इन नियमों को प्रत्यर्पण नियम, 2017 कहा जाएगा।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. परिभाषाएं.— (1) इन नियमों में, जब तक संदर्भ में अन्यथा अपेक्षा न हो,—

(क) "अधिनियम" से प्रत्यर्पण अधिनियम, 1962 (1962 का 34) अभिप्रेत है;

(ख) "प्ररूप" से इन नियमों के साथ उपाबद्ध प्ररूप अभिप्रेत है;

(ग) "धारा" से अधिनियम की धारा अभिप्रेत है।

(2) इन नियमों में प्रयोग किए गए और परिभाषित न किए गए किन्तु अधिनियम में परिभाषित किए गए शब्दों और अभिव्यक्तियों का अर्थ वही होगा जोकि अधिनियम में उन्हें दिया गया है।

3. धारा 15 के अधीन विदेशी वारंट का पृष्ठांकन.— (1) ऐसे प्रपलायी अपराधी जिसे भारत में देखा गया है अथवा होने का संदेह है अथवा भारत आ रहे होने का संदेह है, के संबंध में उस विदेशी राष्ट्र जिसको अधिनियम के अध्याय III के प्रावधान लागू होते हैं, से प्राप्त गिरफ्तारी वारंट, जो प्रत्यर्पण अनुरोध का हिस्सा है, जिसे विदेशी न्यायालय या किसी अन्य विधिपूर्ण प्राधिकारी द्वारा जारी किया गया है, सक्षम प्राधिकारी द्वारा इन नियमों से संलग्न प्ररूप में यथाउपबंधित रीति में पृष्ठांकित किया जाएगा।

स्पष्टीकरण.— इस नियम के प्रयोजनार्थ विदेशी वारंट के पृष्ठांकन के प्रयोजन के लिए सक्षम प्राधिकारी से अभिप्रेत है विदेश मंत्रालय में प्रत्यर्पण मामलों से संबंधित कार्य देख रहे भारत सरकार के अवर सचिव से अन्यून रैंक का अधिकारी।

(2) उप-नियम (1) के प्रयोजनों के लिए, विदेशी राष्ट्र के राजदूतावास या राजनयिक मिशन अथवा विदेश मंत्रालय अथवा विदेशी राष्ट्र के किसी अन्य समुचित प्राधिकारी द्वारा जारी किया गया प्रमाणपत्र कि उक्त गिरफ्तारी वारंट को ऐसे व्यक्ति द्वारा जारी किया गया था जिसे ऐसा वारंट जारी करने का विधिपूर्ण प्राधिकार प्राप्त है, केन्द्रीय सरकार के लिए यह स्वीकार करने के लिए पर्याप्त होगा कि उक्त वारंट विदेशी राष्ट्र में विधिपूर्ण प्राधिकारी द्वारा जारी किया गया था।

4. पृष्ठांकित वारंट का अधिप्रमाणन.— अधिनियम की धारा 17 के प्रयोजनों के लिए, किसी प्रपलायी अपराधी को पकड़े जाने के लिए पृष्ठांकित वारंट को तभी सम्यक रूप से अधिप्रमाणित माना जाएगा यदि उस विदेशी वारंट को पृष्ठांकित करने वाले सक्षम प्राधिकारी के प्रत्यय-पत्र को भारत सरकार के विदेश मंत्रालय में प्रत्यर्पण मामलों के प्रभारी संयुक्त सचिव रैंक से अन्यून रैंक के अधिकारी द्वारा पृष्ठांकित किया गया हो।

5. धारा 17 के अधीन प्रपलायी अपराधी से बरता जाना.— (1) यदि अधिनियम की धारा 17 के अधीन जाँच करने पर मजिस्ट्रेट का यह मत है कि पृष्ठांकित वारंट सम्यक रूप से अधिप्रमाणित नहीं है तब वह केन्द्रीय सरकार को अपनी जाँच के परिणाम की रिपोर्ट देगा और ऐसी रिपोर्ट पर केन्द्रीय सरकार मजिस्ट्रेट को यथाशीघ्र और पन्द्रह दिनों की अनधिक अवधि के भीतर सम्यक रूप से पृष्ठांकित वारंट उपलब्ध कराएगी।

(2) यदि अधिनियम की धारा 17 के अधीन जाँच करने पर मजिस्ट्रेट का यह मत है कि जिस अपराध के लिए व्यक्ति को अभियुक्त बनाया गया है, या दोषसिद्ध किया गया है, वह प्रत्यर्पण अपराध नहीं है तो मजिस्ट्रेट अपनी जाँच के परिणाम की रिपोर्ट केन्द्रीय सरकार को देगा और प्रपलायी अपराधी की रिहाई के लिए केन्द्रीय सरकार के आदेशों की प्रतीक्षा करेगा तथा ऐसी रिपोर्ट प्राप्त होने पर केन्द्रीय सरकार यथाशीघ्र और रिपोर्ट की उक्त प्राप्ति की तारीख से 15 कार्य दिवसों से अनधिक अवधि के भीतर यथा समुचित आदेश पारित करेगी।

प्रारूप

प्रत्यर्पण अधिनियम, 1962 (1962 का 34) की धारा 15 के अधीन केन्द्रीय सरकार द्वारा विदेशी गिरफ्तारी वारंट का पृष्ठांकन

मैं, ..., जोकि विदेश मंत्रालय में प्रत्यर्पण मामलों से संबंधित कार्य देख रहा हूँ, प्रत्यर्पण अधिनियम, 1962 की धारा 15 के उपबंधों के अनुसरण में और के राजदूतावास/उच्चायोग/सरकार द्वारा दिए गए प्रमाणन के आधार पर यह समाधान होने पर कि प्रपलायी अपराधी श्री/सुश्री के विरुद्ध ऐसा वारंट जारी करने के लिए विधिपूर्ण प्राधिकार रखने वाले व्यक्ति द्वारा जारी किया गया था, एतद्द्वारा श्री/सुश्री के (देश का नाम) को प्रत्यर्पण के संबंध में के राजदूतावास/उच्चायोग/सरकार द्वारा अग्रेषित उक्त वारंट को पृष्ठांकित करता हूँ।

मैं एतद्द्वारा (व्यक्ति का पदनाम/स्थान) से पृष्ठांकित वारंट पर संबंधित विधि प्रवर्तन प्राधिकारियों से इसे निष्पादित कराने के लिए उन्हें निदेश देकर इसके निष्पादन को सुकर बनाने का भी अनुरोध करता हूँ जिससे कि प्रपलायी अपराधी को अधिनियम की धारा 17 (1) के अधीन प्रत्यर्पण मामले में जाँच के लिए (मजिस्ट्रेट का पदनाम/स्थान) के समक्ष पेश किया जा सके।

(वारंट को पृष्ठांकित करने वाले अधिकारी के हस्ताक्षर)

नाम:

पदनाम:

तारीख:

अधिप्रमाणन

मैं, ..., विदेश मंत्रालय में प्रत्यर्पण मामलों का प्रभारी एतद्वारा श्री/सुश्री जिन्होंने इस वारंट को पृष्ठांकित किया है, के नाम, पदनाम और हस्ताक्षरों को अधिप्रमाणित करता हूँ।

(अधिप्रमाणित करने वाले अधिकारी के हस्ताक्षर)

नाम:

पदनाम:

तारीख:

[फा. सं. टी-413/98/2016]

उपेन्द्र सिंह रावत, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF EXTERNAL AFFAIRS**NOTIFICATION**

New Delhi, the 30th June, 2017

G.S.R. 830(E).—In exercise of the powers conferred by section 36 of the Extradition Act, 1962 (34 of 1962), the Central Government hereby makes the following rules for the implementation of Chapter III of the Act relating to return of fugitive criminals to foreign States with extradition arrangements, namely:—

1. Short title and commencement.— (1) These rules may be called the Extradition Rules, 2017.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Definitions.—(1) In these rules, unless the context otherwise requires,—

(a) "Act" means the Extradition Act, 1962 (34 of 1962);

(b) "Form" means a Form appended to these rules;

(c) "section" means a section of the Act.

(2) Words and expressions used and not defined in these rules but defined in the Act, shall have the meanings assigned to them in the Act.

3. Endorsement of a foreign warrant under section 15.— (1) A warrant of arrest, forming part of an extradition request, issued by a foreign court or any other lawful authority, received from a foreign State to which the provisions of Chapter III of the Act applies, in respect of a fugitive criminal who is found or suspected to be in or on his way to India, shall be endorsed by the competent authority in the manner as provided in the Form appended to these rules.

Explanation.— For the purposes of this rule, the competent authority, for the purpose of endorsement of a foreign warrant means, an officer, not below the rank of an Under Secretary to the Government of India, dealing with extradition matters, in the Ministry of External Affairs.

(2) For the purposes of sub-rule (1), a certificate issued by the Embassy or a Diplomatic Mission of the foreign State or by the Ministry of Foreign Affairs or any other appropriate authority of the Foreign State that the said warrant of arrest was issued by a person having lawful authority to issue such warrant shall be sufficient for the Central Government to accept that the said warrant was issued by the lawful authority in the foreign State.

4. Authentication of an endorsed warrant.— For the purposes of section 17 of the Act, an endorsed warrant for the apprehension of a fugitive criminal shall be considered as duly authenticated only if the credentials of the competent authority endorsing a foreign warrant are authenticated by an officer not below the rank of a Joint Secretary to the Government of India, in-charge of extradition matters, in the Ministry of External Affairs.

5. Dealing with fugitive criminal under section 17.— (1) If on inquiry under section 17 of the Act, the magistrate is of the opinion that the endorsed warrant is not duly authenticated, then he shall report the result of his inquiry to the Central Government and upon such report, the Central Government shall provide the duly endorsed warrant to the magistrate at the earliest and within a period not exceeding fifteen days.

(2) If on inquiry under section 17 of the Act, the magistrate is of the opinion that the offence of which such person is accused or has been convicted is not an extradition offence, the magistrate shall report the result of his inquiry to the Central Government and await the orders of the Central Government for the release of the fugitive criminal and upon such report, the Central Government shall pass its orders, as appropriate, at the earliest and within a period not exceeding fifteen working days from the date of the said receipt of the report.

FORM

Endorsement of a Foreign Warrant of Arrest by Central Government under section 15 of the Extradition Act, 1962 (34 of 1962)

I ,....., dealing with extradition matters in the Ministry of External Affairs, pursuant to the provisions of section 15 of the Extradition Act, 1962, and having being satisfied, on the basis of the certification given by the Embassy/High Commission/Government of, that the warrant against the fugitive criminal Mr./Ms. was issued by a person having lawful authority to issue such warrant, hereby endorse the said Warrant forwarded by the Embassy/High Commission/Government of in connection with the extradition of Mr. / Ms. to (Name of country).

I hereby also request (designation/place of the person) to facilitate execution of endorsed warrant by directing the concerned law enforcement authorities to get the same executed so that the fugitive criminal may be produced before (designation/place of the Magistrate) for inquiry into the extradition case under section 17 (1) of the Act.

(Signature of the officer endorsing the warrant)

Name:.....

Designation:.....

Date:.....

Authentication

I, ..., in-charge of extradition matters in the Ministry of External Affairs, hereby authenticate the name, designation and signatures of Mr./ Ms., who has endorsed this warrant.

(Signature of the authenticating officer)

Name:.....

Designation:.....

Date:.....

[F. No.T-413/98/2016]

UPENDER SINGH RAWAT, Jt. Secy.